न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 204/2024 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 करनाराम पुत्र चेतनराम 2 घेवरचंद पुत्र भैराराम 3 ताजाराम पुत्र चेतनराम 4 बागाराम पुत्र चेतनराम 5 रूपीदेवी पत्नी भैराराम जाति कुम्हार, निवासी झाक (स्वामी) तहसील बायतु, जिला बाड़मेर हाल निवासी बरियाड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. देरावरसिंह पुत्र महावीरसिंह जाति राजपुत, निवासी बडोड़ा गांव तहसील व जिला जैसलमेर हाल निवासी बरियाड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री देवीलाल कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 06.11.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत मौजा बरियाड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 631/527, 791/526 रकबा क्रमशः 3.7393, 2.8085 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के रहवासी ढाणी व टांके आदि बने हुए है तथा काबिज काश्त है। उक्त आराजी के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 757/624 रकबा 8.0937 हैक्टेयर आई हुई है। उक्तानुसार ही पक्षकारान् का अपनी अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में तहसील क्षेत्र शिव में भूमि का कम्प्यूटरीकरण (सेग्रीगेशन) होने के समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका मुआयना किये तथा बिना जांच किये प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम गलत दर्ज कर दी गई है। उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त एवं रकबा भी प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। उक्त विवादित आराजी का लिपिकीय त्रूटि से तहसील में भूमि ऑनलाईन सेग्रीगेशन कार्य में भू नक्शा में मूल खसरा नम्बर 522 व 527 के मध्य वक्त सेटलमेंट की लाईन हट गई, जिससे प्रार्थीगण का सड़क से पूर्वी भाग रकबा 2.8085 हैक्टेयर खसरा नम्बर 757/624 के खातेदार के भू नक्शा में मिल गया है। जिसे मूल खसरा नम्बर 522 व 527 के मध्य हटाई गई लाईन ए से बी पुनः स्थापित की जाकर तथा खसरा नम्बर 791/526 के स्थान पर 791/527 का अंकन किया जाकर एवं सड़क के पूर्वी भाग के खसरा नम्बर 627/526 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि का राजकीय खाता में अंकन करते हुए नवीन खसरा नम्बर दिया जाना प्रस्तावित किया जाकर मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार रकबा व तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अनुसार मूल खसरा नम्बर 522 व 527 के मध्य हटाई गई लाईन ए से बी पुनः स्थापित की जाकर तथा खसरा नम्बर 791/526 के स्थान पर 791/527 का अंकन किया जाकर एवं सड़क के पूर्वी भाग के खसरा नम्बर 627/526 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि का राजकीय खाता में अंकन करते हुए नवीन खसरा नम्बर दिया जाना प्रस्तावित किया जाकर मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार रकबा व तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी का लिपिकीय त्रूटि से तहसील में भूमि ऑनलाईन सेग्रीगेशन कार्य में भू नक्शा में मूल खसरा नम्बर 522 व 527 के मध्य वक्त सेटलमेंट की लाईन हट गई, जिससे प्रार्थीगण का सड़क से पूर्वी भाग रकबा 2.8085 हैक्टेयर खसरा नम्बर 757/624 के खातेदार के भू नक्शा में मिल गया है। जिसे मूल खसरा नम्बर 522 व 527 के मध्य हटाई गई लाईन ए से बी पुनः स्थापित की जाकर तथा खसरा नम्बर 791/526 के स्थान पर 791/527 का अंकन किया जाकर एवं सड़क के पूर्वी भाग के खसरा नम्बर 627/526 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि का राजकीय खाता में अंकन करते हुए नवीन खसरा नम्बर दिया जाना प्रस्तावित किया जाकर मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार रकबा व तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है, जिससे दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का रकबा व तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बरियाड़ा, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 631/527, 791/526 रकबा क्रमशः 3.7393, 2.8085 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 757/624 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए मूल खसरा नम्बर 522 व 527 के मध्य हटाई गई लाईन ए से बी पुनः स्थापित की जाकर तथा खसरा नम्बर 791/526 के स्थान पर 791/527 का अंकन किया जाकर एवं सड़क के पूर्वी भाग के खसरा नम्बर 627/526 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि का राजकीय खाता में अंकन करते हुए नवीन खसरा नम्बर दिया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 06.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner